न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 119/2016 अपील (GCMS/2016/00035)
पंजीयन दिनांक - 30.11.2016
निर्णय दिनांक - 24.08.2021

1. श्री राकेश चित्तौड़ा पिता स्व.श्री रोशनलाल चित्तौड़ा, निवासी हीराबाग कॉलोनी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री रजनीश चित्तौड़ा - वकील अपीलार्थी
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-101/2015, में श्री राकेश बनाम सरकार में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-101/2015, में श्री राकेश बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का पेश कर निवेदन किया कि उसके पिता द्वारा दिनांक 27.01.1965 को क्रय की गई भूमि का वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा त्रुटि व सहवन से श्री रोशनलाल पिता छगनलाल सा.आयड के स्थान पर केवल छगनलाल सा. आयड़ अंकन हो गया, जिसकी इंद्राज दुरस्ती की जावें।

- उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 23.08.2016 पारित किया कि **"प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार विवादित भूमि आबादी की है एवं नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। विवादित भूमि आबादी है एवं आबादी भूमि से सम्बन्धित प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। साथ ही प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर एवं पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर होने से खारिज किया जाता है।"**

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 27.10.2016 को प्रस्तुत की

गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 30.11.2016 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 03.08.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के पिता श्री रोशनलाल द्वारा दिनांक 27.01.1965 को क्रय की गई भूमि का वक्त सेंटलमेंट राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा त्रुटि व सहवन से श्री रोशनलाल पिता छगनलाल सा.आयड के स्थान पर केवल छगनलाल सा. आयड़ अंकन हो गया। पूर्व में राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी हक से आज भी पूर्व की भांति ही निरंतर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी पुनः अपने पिता श्री रोशनलाल पिता छगनलाल चित्तौड़ा सा.आयड के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को बिना विधिक प्रक्रिया के खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्तानुसार इन्द्राज दुरस्ती की जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा उक्त बहस का खण्डन करते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में उक्त भूमि आबादी होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज है और आबादी भूमि से सम्बन्धित इन्द्राज दुरस्ती को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को न ही अधीनस्थ न्यायालय और न ही न्यायालय आप समक्ष पक्षकार बनाया है, जो पक्षकारों का कुसंयोजन है। अतः इस विधिक स्थिति में दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने अपील निरस्त फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की विस्तृत बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत प्रकरण का परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम पारड़ा, पटवार हल्का मादडीपुरोहितान, भू.अभिलेख क्षेत्र शहर, तहसील गिर्वा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अवलोकनानुसार विवादित भूमि आबादी होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज आबादी भूमि में इन्द्राज दुरस्ती के प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग को नहीं है। इस हेतु अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय समक्ष चाराचोही की जानी थी। न ही अपीलार्थी द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को हस्तगत अपील में पक्षकार बनाया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार बनाया, जो पक्षकारों के कुसंयोजन की परिभाषा में आता है।

फलस्वरूप प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के अभाव एवं पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर